तारीख हुक्म	GCMS No 2023/21 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

संख्या एक रावतराम ने आपराधिक षडयंत्र एवं छल कपट से लिखित पंजीबद्ध बैचान दिनांक 21.12.2004 को अपनी पत्नि गैरसायलन संख्या 2 नोजीदेवी के पक्ष में निष्पादित करवाया। जबकि उक्त लिखित पंजीबद्ध बैचान की जानकारी सायलान को है ही नही ना ही उक्त लिखित पंजीबद्ध बैचान में वर्णित प्रतिफल की राशि सायलान को अदा की गई। सायलान अशिक्षित एवं अनपढ होने से उक्त लिखित बैचान उन्हे इसकी जानकारी नही है व उक्त आराजी पर सायलान का कब्जा काश्त चला आ रहा है गैरसायल संख्या 2 नोजीदेवी का कोई कब्जा काश्त नही न ही खातेदारी अधिकार है। गैरसायल संख्या एक रावतराम के प्राकृतिक पिता मोतीराम है व मोतीराम के पिता का नाम दलाराम है व मोतीराम का पीथा से कोई नजदीकी रिश्ता नही है गैरसायल संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजी छलपूर्वक हडपने की नियत से पीथा को दत्तक पुत्र होना बताकर बाले बाले नामान्तरण संख्या 536 राजस्त रेकर्ड में अपने नाम इन्द्राज करवा दिया अतः गैरसायल संख्या एक व दो सायलान को वादग्रस्त आराजी से जबरदस्ती बलपूर्वक बेदखल कब्जा करने व रोंग इन्द्राज के आधार पर भूमि को बैचान, हस्तान्तरण, खुर्दबुर्द इत्यादि करने को आमादा है यानि सायलान को पैतृक पुश्तैनी वादग्रस्त भूमि से महरूम करने को आमादा है। अतः प्रार्थी द्वारा यह प्रा.पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध गैरसायलान पेश किया है। इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। बहस वकील सायलान बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्ब प्रार्थना–पत्र आज्ञा पारित किये जाने की ईश्तदुआं की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर एकपक्षीय बहस अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थीगण पर गौर कर मनन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत हो रहा हैं। अतः आगामी पेश तक **गैरसायलान** को मौके की यथास्थिति बनाए रखने एवं वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तांतरण न करने हेतु आगामी पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बहक सायलान विरूद्ध गैरसायलान इस आशय की जारी की जाती हैं कि राजस्व मौजा पाटवा, पटवार हल्का पाटवा, भू–अभिलेख निरीक्षण क्षैत्र बैडकलां, तहसील जैतारण में बेरा निम्बडिया, में स्थित खाता संख्या 664/636 खसरा संख्या 356 रकबा 6.8149 हेक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 359 रकबा 9.1135 हेक्टेयर किस्त चाही सोयम, खसरा संख्या 360/1245 रकबा 11.8735 हेक्टेयर किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 364 रकबा 2.6952 हेक्टेयर चाही सोयम, कुल खसरा नम्बर–4, कुल रकबा– 30.4971 हेक्टेयर व सरहद मौजा पाटवा, पटवार हल्का पाटवा, तहसील जैतारण में खाता संख्या 473/467 खसरा नम्बर 184 रकबा, 11.12 बीघा, किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 239 रकबा, 10.10 बीघा, बारानी अव्वल कुल खसरा नम्बर –2, कुल रकबा 22.02 बीघा आई हुई है। आगामी पेशी तक **गैरसायलान** को मौके की यथास्थिति बनाए रखने एवं वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तांतरण न करने हेतु अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. की पालना में तलबाना/नोटिसेज तीन दिवस में पेश करें। नोटिसेज हो कि वह वजह जाहिर करें कि क्यों नहीं उक्त आदेश को वाद निर्णय तक पुख्ता किया जावें। आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. की पालना नहीं होने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। पत्रावली वास्ते जबाब प्रा0प0 आयन्दा दिनांक 22.03.2023 को पेश हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर (प्र.)
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

1/3/23 पत्रावली तलब की गई। सायलान मय अधिवक्ता उपस्थित।
वकील सायल मय सायलान ने प्रार्थना पत्र [illegible]
मिसल तलब कर [illegible] कार्य
बाबत का पेश [illegible] सायलान
द्वारा माननीय न्यायालय [illegible]
गैरसायलान को न्यायालय के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से
प्राप्त हुए. त० गैरसायलान द्वारा सायल के मौखिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.05.10 16:47:10 IST
Reason: SelfAttested

GCMS No. 2023/21

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	पक्षकारों से वार्तालाप की गई, उक्त वार्तालाप करने के बाद समाज के मौजिज व्यक्तियों एवं रिश्तेदारों की समझाईश। सुलह व लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर सामलात एवं गैरसामलात खातेदार एक व दो के बीच आपस में समझौता करवा दिया गया, इसलिए समझौते के आधार पर सामलात उक्त प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को आगे नहीं चलाना चाहते है इसलिए पत्रावली तलब की जाकर आगे दी प्रकरण निर्णीत किया जाकर प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया है पत्रावली मय दस्तावेज प्रार्थना का अवलोकन किया गया। सामिल अधिवक्ता मय सामलात प्रा०पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA R/w 039 R 1,2 व 151 CPC को बतौर निर्णीत खारिज करवाने हेतु निवेदन किया है। वकील साहब मय सामलात ने प्रा.पत्र में किसी कागज के समर्थन में आपत्ति या दस्तावेज किये। अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रा०पत्र सामलात अन्तर्गत धारा 212 RTA R/w 039 R1,2 R/w 151 CPC बतौर निर्णीत खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नतीजे से काम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर लेखा। आदेश पढ़ा गया। (श्याम सुन्दर बिश्नोई) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.05.10 16:47:10 IST
Reason: SelfAttested